ए.

होन्नायाह टी. एच.

वी.

कर्नाटक राज्य और अन्य (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1147)

बी.

04 अगस्त, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 161। 397 (2)-अभियोजन पक्ष ने कहा कि एस. एस. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 26 दिसंबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।143, 147, 148, 504, 323, 302, 307, 114 और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 149-एफ़. आई. आर. के अनुसार, 25 दिसंबर 2016 को आरोपी चाकू और छड़ से लैस अधिवक्ताार्थी के गाँव आया, और कुछ ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर हमला किया-कुछ अभियुक्तों ने कथित रूप से अधिवक्ताार्थी, उसके बड़े भाई और एक अन्य ग्रामीण पर चाकू से हमला किया-गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को पहले मद्दूर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया-घायलों को मंड्या जिला अस्पताल भेजा गया जहाँ से उन्हें आगे के. आर. अस्पताल, मैसूर में स्थानांतरित कर दिया गया-अधिवक्ताार्थी ने दावा किया कि उसके द्वारा दी गई जानकारी पर एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी, जिससे वह सूचना देने वाला बन गया-मुकदमे के दौरान, अभि.सा. 2 (मद्दूर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर) ने कहा कि अधिवक्ताार्थी और एक अन्य घायल गवाह 161 दंड प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.) और इसे एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित नहीं किया जा सकता है-निचली अदालत ने अभि.सा. 2 के बयान के आधार पर शिकायत को चिह्नित करने से इनकार कर दिया, और इस आधार पर कि अभि.सा. 7 ने अपने साक्ष्य में यह नहीं बताया कि उसने पुलिस को शिकायत दी थी-राज्य ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपने उपायों को आगे नहीं बढ़ाया-अपीलकर्ता ने एक आपराधिक संशोधन की शुरुआत की।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1108 ए.

1109

होनाया टी. एच. बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य ए

एसएस के तहत।397(1) और उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401- उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि वास्तव में वादी के रूप में अपीलार्थी को पुनरीक्षण याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है और पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग एक अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में नहीं किया जा सकता है और इसलिए धाराओं में निहित अवरोधक को देखते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। 397(2) सी. आर. पी. सी.-इसलिए तत्काल अपील-आयोजितःअभि.सा. 4 के बयान के आधार पर, यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का बयान 26 दिसंबर 2016 को अभि.सा. 4 की उपस्थिति में के आर अस्पताल, मैसूर में दर्ज किया गया था-अभि.सा. 7 के बयान के आधार पर, अपराध के बारे में सूचना पीएस मद्दूर में प्राप्त हुई थी जिसके बाद 26 दिसंबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी-इस प्रकार, निचली अदालत के आदेश का आधार, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, अर्थात्, अपीलार्थी का बयान एस के तहत एक बयान है।161 सी. आर. पी. सी. गलत है-अपीलार्थी का बयान, वास्तव में, वह आधार था जिसके आधार पर एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी-इसलिए, अभियोजन पक्ष के लिए यह वैध रूप से खुला था कि वह बयान को साबित करे और मुकदमे के दौरान एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करे-आपराधिक मुकदमे के दौरान न्याय की गंभीर विफलता होगी यदि बयान को एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित नहीं किया जाना था क्योंकि यह एफ़. आई. आर. के पंजीकरण का आधार है-इन परिस्थितियों में विचारण न्यायाधीश के आदेश को केवल प्रक्रियात्मक या वार्ताकार प्रकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें अभियोजन पक्ष के मूल पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की क्षमता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.397 (2)-आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार-का दायरा-पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार यू/एस।397 सी. आर. पी. सी. का प्रयोग दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के अंतिम आदेश के विरुद्ध किया जा सकता है, या एक मध्यवर्ती आदेश, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, जहां सार्वजनिक न्याय के हित में प्रकट अवैधता को नष्ट करने और न्याय के घोर गर्भपात को रोकने की आवश्यकता होती है-वर्तमान मामले में, सूचना देने वाले के बयान को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करने से इनकार करने वाला निचली अदालत का आदेश एक मध्यवर्ती आदेश है जो पक्षों के महत्वपूर्ण अधिकारों को प्रभावित करता है और इसे विशुद्ध रूप से अंतर्वर्ती प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है-सी. आर. पी. सी. की धारा 397 आर/डब्ल्यू 401 के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र प्रकृति में एक विघटनकारी है और इसका स्वतः उपयोग किया जा सकता है और तीसरे पक्ष पर उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसी अधिकारिता का आह्वान करने पर कोई रोक नहीं हो सकती है जो एक अवसर हो।

एफ.

जी.

एच.

और वह बार यू/एस।397(2) सी. आर. पी. सी. के अप्रयोज्य होने पर, निचली अदालत के उक्त आदेश के खिलाफ एक अपीलार्थी-मुखबिर द्वारा दायर एक आपराधिक संशोधन बनाए रखने योग्य था।

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** आपराधिक मुकदमे के दौरान न्याय की गंभीर विफलता होगी यदि बयान को एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्राथमिकी दर्ज करने का आधार है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायाधीश के आदेश को केवल प्रक्रियात्मक या वार्ताकार प्रकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें अभियोजन के मूल पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की क्षमता है।सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **397** के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है जहां सार्वजनिक न्याय के हित में प्रकट अवैधता में सुधार या न्याय की घोर गर्भपात की रोकथाम के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।एक अदालत बरी या दोषसिद्धि के अंतिम आदेश के खिलाफ अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है**,** या एक मध्यवर्ती आदेश जो प्रकृति में अंतर्वर्ती नहीं है।कोई भी आदेश जो पक्षों के अधिकार को काफी हद तक प्रभावित करता है**,** उसे "अंतर्वर्ती आदेश" नहीं कहा जा सकता है।**[**पैरा **12] [1116-**बी**-**डी**]**

बी.

सी.

डी.

अमित कपूर बनाम रमेश चंदर **(2012) 9** एस**.** सी**.** सी**. 460 [2012] 7** एस**.** सी**.** आर**. 988;** शीतला प्रसाद बनाम श्रीकांत **(2010)**

ई.

2 एससीसी 190:[2009] 16 एससीआर 686; केके पटेल बनाम गुजरात राज्य (2000) 6 एससीसी 195:[2000] 1 पूरक।एससीआर 312;

अमर नाथ बनाम हरियाणा राज्य **(1977) 4** एससीसी **137:[1978] 1** एस**.** सी**.** आर**. 222;** मधु लिमये बनाम राज्य

महाराष्ट्र (1977) 4 एससीसी 551:[1978] 1 एससीआर 749-पर निर्भर।

एफ.

2. वर्तमान मामले में**,** बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्ति **(**जिसे ट्रायल जज द्वारा बरकरार रखा गया था**)** कि सूचना देने वाले का बयान धारा **161** सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** के तहत एक बयान है**,** अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ तक जाती है और इसकी स्वीकृति अभियोजन पक्ष के मामले को काफी हद तक प्रभावित करेगी।आरोप पत्र के अनुसार**,** अपीलकर्ता/मुखबिर के बयान ने प्राथमिकी का आधार बनाया और आपराधिक कानून को गति दी।बयान को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करने के लिए लोक अभियोजक की प्रार्थना को अस्वीकार करने से संभवतः प्राथमिकी की वैधता खतरे में पड़ जाएगी। इस पृष्ठभूमि में**,** निचली अदालत का आदेश ए को चिह्नित करने से इनकार करता है

जी.

एच.

1111

होनाया टी. एच. बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य ए

एक प्रदर्शनी के रूप में सूचना देने वाले का बयान एक मध्यवर्ती आदेश है जो पक्षों के महत्वपूर्ण अधिकारों को प्रभावित करता है और इसे विशुद्ध रूप से अंतर्वर्ती प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है।वर्तमान मामले में**,** यदि अपीलार्थी/सूचना देने वाले के बयान को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करने की अनुमति नहीं है**,** तो यह न्याय का घोर गर्भपात होगा। **[**पैरा **13] [1117-**जी**; 1118-**ए**-**बी**]**

बी.

3. विचारण के लंबित रहने के दौरान पारित आदेश पर आक्षेप लगाने वाले अपीलार्थी के आग्रह पर पुनरीक्षण की स्थिरता को चुनौती देने को भी खारिज किया जाना चाहिए।सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **401** के साथ पठित धारा **397** के तहत उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता एक विवेकाधीन अधिकारिता है जिसका उपयोग पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए किया जा सकता है ताकि निचली अदालत या निचली अदालत द्वारा दर्ज या पारित आदेश की शुद्धता**,** वैधता या औचित्य की जांच की जा सके।चूँकि पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः भी किया जा सकता है**,** इसलिए पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने और उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी तीसरे पक्ष पर कोई रोक नहीं हो सकती है कि शक्ति का प्रयोग करने का अवसर उत्पन्न हो गया है।**[**पैरा **14] [1118-**सी**-**ई**]**

सी.

डी.

4. उच्च न्यायालय का यह विचार कि एक पीड़ित/वादी को अपनी पुनरीक्षण याचिका को अंतिम आदेशों को चुनौती देने तक सीमित रखने की आवश्यकता है या तो आरोपी को बरी करना या कम अपराध के आरोपी को दोषी ठहराना या अपर्याप्त मुआवजा **(**सीआरपीसी की धारा **372** के तहत उल्लिखित तीन आवश्यकताएं**)** देना तब तक अस्थिर है**,** जब तक कि पुनरीक्षण याचिका को एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ निर्देशित नहीं किया जाता है**,** जो कि सीआरपीसी की धारा **397 (2)** में एक अंतर्निहित प्रतिबंध है। वर्तमान मामले में**,** अपीलार्थी ने एक आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया क्योंकि एक सूचना देने वाले के रूप में उसके हित और एक घायल पीड़ित के रूप में निचली अदालत द्वारा सूचना देने वाले के बयान को एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करने के अनुरोध को अस्वीकार करने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे।यह अभिनिर्धारित करते हुए कि विचारण न्यायालय का आदेश अंतर्वर्ती प्रकृति का नहीं है और कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **397 (2)** के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होता है**,** निचली अदालत के उक्त आदेश के खिलाफ एक मुखबिर द्वारा दायर आपराधिक संशोधन बनाए रखने योग्य था।**[**पैरा **15] [1119-**ए**-**सी**]**

ई.

एफ.

जी.

के पांडुरंगन बनाम एसएसआर वेलुसामी **(2003) 8** एससीसी **625;**

शीतला प्रसाद बनाम श्री कांत (2010) 2 एससीसी 190:[2009]

16 एससीआर **686;** मेनोका मलिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

(2019) 18 एस**.** सी**.** सी**. 721-**पर निर्भर था।

एच.

1112 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 6 एस. सी. आर.

मामला कानून संदर्भ

[2012] 7 एससीआर **988**

उस पर भरोसा करें

पैरा **12**

[2009] 16 एससीआर **686**

उस पर भरोसा करें

पैरा **12**

[1978] 1 एससीआर **222**

उस पर भरोसा करें

पैरा **12**

बी.

[2000] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 312** पैरा **12 [1978] 1** एस**.** सी**.** आर**. 222** पैरा **13 [1978] 1** एस**.** सी**.** आर**. 749** पर निर्भर था।

उस पर भरोसा करें

पैरा **13**

(2003) 8 एस**.** सी**.** सी**. 625**

उस पर भरोसा करें

पैरा **14**

सी.

[2009] 16 एससीआर **686**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1147।

डी.

2019 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1384 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.12.2021 के निर्णय और आदेशों से।

सेंथिल जगदीशन, सुश्री रेम्या राज, सुश्री सोनाक्षी मल्हन, सुश्री सजल जैन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

ई.

शुभ्रांशु पाधी, आशीष यादव, विशाल बंशल, सुश्री राजेश्वरी शंकर, अनिल वी. कटारकी, अनिल सी. निशानी, सुश्री वीणा कटारकी, टी. आर. बी. शिवकुमार, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.**

एफ.

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 20 दिसंबर 2021 के एक फैसले से उत्पन्न होती है जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर आपराधिक संशोधन को विचारणीयता के आधार पर खारिज कर दिया गया था।अपीलार्थी, जो मूल सूचना देने वाला है, ने इस न्यायालय का रुख किया।

जी.

3. यह आरोप लगाया गया है कि 25 दिसंबर 2016 को कर्नाटक के मद्दूर के थोप्पनहल्ली गांव के अभियुक्तों और ग्रामीणों के बीच पानी के आवंटन को लेकर विवाद हुआ था।आरोप है कि इस विवाद के कारण कई झड़पें हुईं और दो ए की हत्या हो गई।

एच.

1113

होन्नायाह टी. एच. बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

व्यक्ति और अपीलार्थी सहित कई अन्य को चोटें।भारतीय दंड संहिता की धारा 143,147,148,504,323,302,307,114 और 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 2 की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट 1 26 दिसंबर 2016 को थाना मद्दूर, जिला मांड्या में दर्ज की गई थी, जो 2016 का अपराध संख्या 0582 है।3 एफ. आई. आर. के अनुसार, 25 दिसंबर 2016 को लगभग 1830 बजे, आरोपी चाकू और रॉड से लैस अपीलार्थी के गाँव में आया और कुछ ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर हमला किया।कुछ अभियुक्तों ने कथित तौर पर अपीलार्थी, उसके बड़े भाई मुत्तुराजू और नंदीशा नाम के एक अन्य ग्रामीण पर चाकू से हमला किया और चाकू मार दिया।गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को पहले मद्दुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया।अस्पताल के डॉक्टरों ने घायलों को मंड्या जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां से उन्हें मैसूर के के आर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।नंदीशा और मुत्तुराजू दोनों ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

बी.

सी.

4. अपीलार्थी का दावा है कि उसके द्वारा दी गई जानकारी पर एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी, जिससे वह मुखबिर बन गया।अनुसंधान के बाद, सक्षम अदालत के समक्ष धारा 173 सी. आर. पी. सी. के तहत एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और मामला सुनवाई के लिए प्रतिबद्ध किया गया।5. 2017 के एस. सी. संख्या 82 में मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अभियोजन पक्ष के सात गवाहों से पूछताछ की।4 अभि.सा. 2, डॉ. चिक्काबोरेगौड़ा ने कहा कि अपीलकर्ता और एक अन्य घायल गवाह को पुलिस द्वारा 25 दिसंबर 2016 को 1925 बजे मद्दुर सरकारी अस्पताल लाया गया था और उन्होंने दोनों रोगियों को आगे के इलाज के लिए मांड्या जिला अस्पताल भेजा था।अभि.सा. 4, के आर अस्पताल, मैसूर में काम करने वाले डॉ. मंजोज पी ने कहा कि अपीलार्थी का बयान 26 दिसंबर 2016 को सुबह 1115 बजे पीएसआई मद्दुर द्वारा उनकी उपस्थिति में दर्ज किया गया था।

डी.

ई.

एफ.

6. अपीलार्थी की जांच अभि.सा. 7 के रूप में की गई थी।अपने जाँच-इन-चीफ के दौरान, लोक अभियोजक शिकायत को अपीलार्थी के हस्ताक्षर के साथ एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करना चाहता था।बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर आपत्ति जताई गई थी कि अभि.सा. 2 के बयान को देखते हुए, उसकी जांच के दौरान, अपीलार्थी का बयान

सीआरपीसी की धारा 161 के लिए संदर्भित है और इसे एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित नहीं किया जा सकता है।

जी.

1 “एफ. आई. आर. 2 "सी. आर. पी. सी". 3 "आई. पी. सी". 4 "पी. डब्ल्यू".

एच.

7. निचली अदालत ने 3 अक्टूबर 2019 के अपने आदेश में अभि.सा. 2 के बयान के आधार पर शिकायत को चिह्नित करने से इनकार कर दिया, और इस आधार पर कि अभि.सा. 7 ने अपने साक्ष्य में गवाही नहीं दी कि उसने पुलिस को शिकायत दी थी।निचली अदालत ने टिप्पणी कीः

“गवाह ने अपने साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि उसने पुलिस में शिकायत की है।उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने जांच अधिकारी और डॉक्टर की उपस्थिति में अस्पताल में इलाज के दौरान बयान दिया है।पी. डब्ल्यू. 2 के उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर, इस गवाह के बयान को प्रथम सूचना रिपोर्ट के समान नहीं माना जा सकता है।और, जैसा कि विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अनुरोध किया गया है, गवाह के बयान और उसके हस्ताक्षर को 'प्रदर्शन' के रूप में चिह्नित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गवाह ने कहा है कि उसने अपना बयान दिया है।”8. राज्य ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपने उपायों को आगे नहीं बढ़ाया।अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (1) और 401 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण शुरू किया। उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2021 के विवादित फैसले द्वारा निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और विचारणीयता के आधार पर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।उच्च न्यायालय ने कहा कि वास्तविक वादी के रूप में अपीलार्थी के पास पुनरीक्षण याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।उच्च न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैंः

बी.

सी.

डी.

ई.

“12. राज्य ने इस मामले को वैसे ही छोड़ दिया है।हालाँकि, यह वादी है जो अब उक्त आदेश को चुनौती देकर इस न्यायालय के समक्ष आंदोलन कर रहा है।'पीड़ित' शब्द को Cr.P.C की धारा 2 (डब्ल्यू. ए.) में परिभाषित किया गया है।

“"पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और "पीड़ित" अभिव्यक्ति में उसका अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी शामिल है;

एफ.

13. किसी दिए गए मामले में, इसमें वादी के अधिकार भी शामिल हैं जो Cr.P.C की धारा 372 के तहत बनाए गए हैं. केवल अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के उद्देश्य से आरोपी को बरी करना या आरोपी को कम अपराध के लिए दोषी ठहराना या अपर्याप्त मुआवजा देना।पीड़ित/शिकायतकर्ता के लिए संशोधित दंड प्रक्रिया संहिता में इन तीन आवश्यकताओं को छोड़कर, जब दंड प्रक्रिया संहिता आगे के बारे में चुप है

जी.

एच.

1115

होन्नायाह टी. एच. बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

पीड़ित/शिकायतकर्ता के अधिकार, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान पारित किए जाने वाले प्रत्येक आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका दायर करना बनाए रखने योग्य नहीं है।इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, वास्तव में शिकायतकर्ता/पीड़ित के कहने पर पुनरीक्षण याचिका विचारणीय नहीं है।”

बी.

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (2) के तहत, किसी भी अपील, जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही में पारित अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में संशोधन की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निचली अदालत का आदेश अपीलार्थी के बयान को एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करने से इनकार करना एक अंतर्वर्ती आदेश है, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (2) में निहित बाधा को देखते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। 9.अपीलार्थी ने 20 दिसंबर 2021 के उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर इस अदालत का रुख किया।11 मार्च 2022 को नोटिस जारी किया गया था, जब निचली अदालत के समक्ष लंबित 2017 के एससी संख्या 82 में कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।11 अप्रैल 2022 के एक आदेश द्वारा, इस

न्यायालय ने अपने पहले के आदेश को संशोधित किया और मुकदमे में केवल अभि.सा. 7 (अपीलार्थी) के साक्ष्य की आगे की रिकॉर्डिंग पर रोक लगा दी।

सी.

डी.

10. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश अधिवक्ता श्री सेंथिल जगदीशन, कर्नाटक राज्य के अधिवक्ता श्री शुभ्रांशु पाधी और प्रतिवादी-अभियुक्त के अधिवक्ता श्री टी. आर. बी. शिवकुमार को सुना है।

ई.

11. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी सहित घायल व्यक्तियों को 26 दिसंबर 2016 को मद्दूर के सरकारी अस्पताल से मांड्या जिला अस्पताल से के आर अस्पताल, मैसूर में स्थानांतरित कर दिया गया था।अपीलार्थी ने किसी भी स्तर पर यह नहीं कहा है कि उसे पुलिस द्वारा इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में लाया गया था।अभि.सा. 4 के बयान के आधार पर, यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का बयान 26 दिसंबर 2016 को सुबह 1115 बजे के. आर. अस्पताल, मैसूर में डॉ. मनोज पी. की उपस्थिति में दर्ज किया गया था, जिनकी जांच अभि.सा. 4 के रूप में की गई थी।पीडब्लू 7 के बयान के आधार पर, अपराध के बारे में सूचना पीएस मद्दूर में प्राप्त हुई थी, जिसके बाद 26 दिसंबर 2016 को 0230 बजे 2016 की अपराध संख्या 0582 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।इस प्रकार, निचली अदालत के आदेश का आधार, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, अर्थात्, अपीलार्थी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत एक बयान है, गलत है।वास्तव में, अपीलार्थी का बयान ही वह आधार था जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।इसलिए, यह वैध था

एफ.

जी.

एच.

अभियोजन पक्ष के लिए खुला है कि वह मुकदमे के दौरान बयान को साबित करे और एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करे।

12. आपराधिक मुकदमे के दौरान न्याय की गंभीर विफलता होगी यदि बयान को एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्राथमिकी दर्ज करने का आधार है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायाधीश के आदेश को केवल प्रक्रियात्मक या वार्ताकार प्रकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें अभियोजन के मूल पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की क्षमता है।सी. आर. पी. सी. की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है जहां सार्वजनिक न्याय के हित में प्रकट अवैधता में सुधार या न्याय की घोर गर्भपात की रोकथाम के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।5 एक अदालत बरी या दोषसिद्धि के अंतिम आदेश के खिलाफ अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है, या एक मध्यवर्ती आदेश जो प्रकृति में अंतर्वर्ती नहीं है।अमर नाथ बनाम हरियाणा राज्य के मामले में निर्णय में, 6 इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (2) में "अंतर्वर्ती आदेश" शब्द का अर्थ समझाया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "अंतर्वर्ती आदेश" पद विशुद्ध रूप से अंतरिम या अस्थायी प्रकृति के आदेशों को दर्शाता है जो पक्षों के महत्वपूर्ण अधिकारों या देनदारियों पर निर्णय या स्पर्श नहीं करते हैं।इसलिए, कोई भी आदेश जो पक्षों के अधिकार को काफी हद तक प्रभावित करता है, उसे "अंतर्वर्ती आदेश" नहीं कहा जा सकता है।दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति मुर्तजा फजल अली ने कहाः“6. [...] हमें ऐसा लगता है कि 1973 की संहिता की धारा 397 (2) में "अंतर्वर्ती आदेश" शब्द का उपयोग सीमित अर्थों में किया गया है न कि किसी व्यापक या कलात्मक अर्थ में।यह केवल विशुद्ध रूप से अंतरिम या अस्थायी प्रकृति के आदेशों को दर्शाता है जो महत्वपूर्ण अधिकारों या पक्षों की देनदारियों को तय या छूते नहीं हैं।कोई भी आदेश जो अभियुक्त के अधिकार को काफी हद तक प्रभावित करता है, या पक्षों के कुछ अधिकारों का निर्णय करता है, उसे एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं कहा जा सकता है ताकि उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में संशोधन को रोका जा सके, क्योंकि यह उसी उद्देश्य के खिलाफ होगा जो 1973 की संहिता की धारा 397 में इस विशेष प्रावधान को शामिल करने का आधार था। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, गवाहों को बुलाने का आदेश, मामलों को स्थगित करना, जमानत के लिए आदेश पारित करना, रिपोर्ट मंगाना और लंबित कार्यवाही की सहायता के लिए ऐसे अन्य कदम, निस्संदेह अंतर्वर्ती आदेशों के बराबर हो सकते हैं जिनके खिलाफ 1973 की संहिता की धारा 397 (2) के तहत कोई संशोधन नहीं होगा।लेकिन आदेश जो मायने रखते हैं

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

5 अमित कपूर बनाम रमेश चंदर, (2012) 9 एस. सी. सी. 460; शीतला प्रसाद बनाम श्रीकांत, (2010) 2 एस. सी. सी. 190।

6 (1977) 4 एससीसी 137 ए

एच.

1117

होन्नायाह टी. एच. बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

तत्काल और जो अभियुक्त के अधिकारों या मुकदमे के किसी विशेष पहलू को प्रभावित करता है या निर्णय देता है, उसे अंतर्वर्ती आदेश नहीं कहा जा सकता है ताकि वह उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता के दायरे से बाहर हो।"

सी. आर. पी. सी. की धारा 397 (2) के अधिनियमन के ऐतिहासिक कारण को स्पष्ट करते हुए, इस न्यायालय ने अमर नाथ (ऊपर) में कहा कि उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण की व्यापक शक्ति विवेक के मामले के रूप में सीमित है, न कि कानून के मामले के रूप में, एक आदेश के लिए जो "किसी भी त्रुटि से ग्रस्त है।

बी.

कानून या कोई कानूनी दुर्बलता जो अभियुक्त के साथ अन्याय या पूर्वाग्रह का कारण बनती है या स्पष्ट रूप से मूर्खतापूर्ण या विकृत थी।" के के पटेल बनाम राज्य

गुजरात, 7 जहां संज्ञान लेने और जारी करने की प्रक्रिया के आदेश के खिलाफ एक आपराधिक संशोधन दायर किया गया था, इस न्यायालय ने अमर नाथ (उपरोक्त) में व्यक्त किए गए विचार का पालन किया और कहाः

सी.

"11. [....]अब यह लगभग तय हो गया है कि यह तय करने में कि क्या चुनौती दिया गया आदेश संहिता की धारा 397 (2) के लिए अंतर्वर्ती है या नहीं, एकमात्र परीक्षण यह नहीं है कि ऐसा आदेश पारित किया गया था या नहीं।

डी.

अंतरिम चरण के दौरान (अमर नाथ बनाम हरियाणा राज्य, मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य, 8 वीसी शुक्ला बनाम राज्य, 9 और राजेंद्र कुमार सीताराम पांडे बनाम उत्तम 10)। व्यवहार्य

परीक्षण यह है कि क्या किसी पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों को बनाए रखने के परिणामस्वरूप कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, यदि ऐसा है तो ऐसी आपत्तियों पर पारित कोई

भी आदेश केवल अंतर्वर्ती प्रकृति का नहीं होगा जैसा कि संहिता की धारा 397 (2) में परिकल्पित है।वर्तमान मामले में, यदि अपीलार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति को न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाता तो अभियोजन की पूरी कार्यवाही समाप्त कर दी जाती।इसलिए, उक्त मानक के अनुसार, आदेश पर पुनर्विचार किया जा सकता था।"

ई.

13. वी. सी. शुक्ला (ऊपर) में निर्णय में, इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि सी. आर. पी. सी. के तहत, इस सवाल का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या एक आरोपी 11 को समन करने का आदेश या आरोप 12 तैयार करने का आदेश एक "अंतर्वर्ती आदेश" है या नहीं। वर्तमान मामले में, बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा ली गई आपत्ति (जिसे ट्रायल जज द्वारा बरकरार रखा गया था) कि सूचना देने वाले का बयान धारा 161 सीआरपीसी के तहत एक बयान है

एफ.

जी.

7 (2000) 6 एससीसी 195

8 (1977) 4 एस. सी. सी. 551

9 1980 एस. सी. सी. 92

10 (1999) 3 एससीसी 134

11 अमर नाथ बनाम हरियाणा राज्य**, (1977) 4** एस**.** सी**.** सी**. 137**

एच.

12 मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य**, (1977) 4** एस**.** सी**.** सी**. 551**

अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ और इसकी स्वीकृति अभियोजन पक्ष के मामले को काफी हद तक प्रभावित करेगी।आरोप पत्र के अनुसार, अपीलकर्ता/मुखबिर के बयान ने प्राथमिकी का आधार बनाया और आपराधिक कानून को गति दी।बयान को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करने के लिए लोक अभियोजक की प्रार्थना को अस्वीकार करने से संभवतः प्राथमिकी की वैधता खतरे में पड़ जाएगी। इस पृष्ठभूमि में, सूचना देने वाले के बयान को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करने से इनकार करने वाला निचली अदालत का आदेश पक्षों के महत्वपूर्ण अधिकारों को प्रभावित करने वाला एक मध्यवर्ती आदेश है और इसे विशुद्ध रूप से

अंतर्वर्ती प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है।वर्तमान मामले में, यदि अपीलार्थी/सूचना देने वाले के बयान को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करने की अनुमति नहीं है, तो यह न्याय का घोर गर्भपात होगा।

बी.

सी.

14. अपीलार्थी द्वारा विचारण के लंबित रहने के दौरान पारित आदेश को लागू करने के आग्रह पर पुनरीक्षण की स्थिरता को चुनौती देने को भी खारिज किया जाना चाहिए।सी. आर. पी. सी. की धारा 401 के साथ पठित धारा 397 के तहत उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता एक विवेकाधीन अधिकारिता है जिसका उपयोग पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए किया जा सकता है ताकि निचली अदालत या निचली अदालत द्वारा दर्ज या पारित आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य की जांच की जा सके।चूँकि पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः भी किया जा सकता है, इसलिए पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने और उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी तीसरे पक्ष पर कोई रोक नहीं हो सकती है कि शक्ति का प्रयोग करने का अवसर उत्पन्न हो गया है।एक वादी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को विचारणीय ठहराते हुए, न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने के पांडुरंगन में इस न्यायालय के लिए लिखा

डी.

ई.

v एस**.** एस**.** आर**.** वेलुसामी **13** ने कहाः

“6. जहाँ तक वादी के कहने पर पुनरीक्षण की स्थिरता के बारे में पहले प्रश्न का संबंध है, हम सोचते हैं कि उक्त तर्क को केवल अस्वीकार करने के लिए नोट किया जाना चाहिए।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के तहत, अदालत के पास संशोधन की स्वतः संज्ञान शक्ति है, यदि ऐसा है, तो किसी बाहरी व्यक्ति के कहने पर इसे लागू करने के सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंततः यह संशोधन की शक्ति है जो पहले से ही उच्च न्यायालय के पास वैधानिक रूप से निहित है जिसका प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। इसलिए, चाहे वह स्वयं किया जाए या किसी तीसरे पक्ष के कहने पर किया जाए, उच्च न्यायालय की ऐसी शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।इस संबंध में, हम नादिर खान बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) के मामले में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय पर ध्यान दे सकते हैं।”

एफ.

जी.

13 (2003) 8 एससीसी 625 ए

एच.

1119

होन्नायाह टी. एच. बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

15. उच्च न्यायालय का यह विचार कि एक पीड़ित/वादी को अपनी पुनरीक्षण याचिका को अंतिम आदेशों को चुनौती देने के लिए या तो आरोपी को बरी करने या कम अपराध के आरोपी को दोषी ठहराने या अपर्याप्त मुआवजा (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत उल्लिखित तीन आवश्यकताएं) लागू करने तक सीमित रखने की आवश्यकता है, तब तक अस्थिर है, जब तक कि पुनरीक्षण याचिका को एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ निर्देशित नहीं किया जाता है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (2) में एक अंतर्निहित प्रतिबंध है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने एक आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया क्योंकि एक सूचना देने वाले के रूप में उसके हित और एक घायल पीड़ित के रूप में निचली अदालत द्वारा सूचना देने वाले के बयान को एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करने के अनुरोध को अस्वीकार करने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे।यह अभिनिर्धारित करते हुए कि विचारण न्यायालय का आदेश अंतर्वर्ती प्रकृति का नहीं है और कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (2) के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होता है, निचली अदालत के उक्त आदेश के खिलाफ एक मुखबिर द्वारा दायर आपराधिक संशोधन बनाए रखने योग्य था।शीतला प्रसाद बनाम श्री कांत, 14 में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया है कि एक निजी वादी कुछ परिस्थितियों में पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है, जिसमें निचली अदालत गलत तरीके से सबूत को बंद कर देती है जिसे अभियोजन पक्ष पेश करना चाहता है।उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जिन पर एक निजी वादी के कहने पर उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है, इस न्यायालय ने कहाः

बी.

सी.

डी.

“12. उच्च न्यायालय एक निजी वादी के कहने पर पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था और इसलिए, उन सिद्धांतों पर ध्यान देना आवश्यक है जिन पर इस तरह के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 की उप-धारा (3) दोषमुक्त किए जाने के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित करने पर रोक लगाती है।श्रेणियों को संपूर्ण बनाए बिना, एक निजी वादी के कहने पर उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है।

ई.

एफ.

(1) जहां विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से साक्ष्य को बंद कर दिया है जिसे अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करना चाहता था,

(2) जहां स्वीकार्य साक्ष्य को गलत तरीके से अस्वीकार्य के रूप में दरकिनार कर दिया जाता है,

(3) जहाँ विचारण न्यायालय के पास मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और फिर भी उसने अभियुक्त को बरी कर दिया है,

जी.

(4) जहां भौतिक साक्ष्य की या तो विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा अनदेखी की गई है या आदेश अप्रासंगिक साक्ष्य पर विचार करके पारित किया गया है, और

14 (2010) 2 एससीसी 190

एच.

(5) जहाँ दोषमुक्ति उस अपराध के चक्रवृद्धि पर आधारित है जो कानून के तहत अमान्य है।"

शीतला प्रसाद (उपरोक्त) में जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है, उन पर हाल ही में इस न्यायालय द्वारा मेनोका मलिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 15 के मामले में यह अभिनिर्धारित करने के लिए भरोसा किया गया है कि उच्च न्यायालय पहले मुखबिर द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, जहां निचली अदालत ने भौतिक साक्ष्य की अनदेखी की थी।इस प्रकार, 20 दिसंबर 2021 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में यह अभिनिर्धारित करना गलत है कि अपीलार्थी के पास निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण स्थापित करने का अधिकार नहीं था।

बी.

16. इन परिस्थितियों में, हम अपील की अनुमति देते हैं और 3 अक्टूबर 2019 के निचली अदालत के आदेश और 20 दिसंबर 2021 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर देते हैं।हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि निचली अदालत लोक अभियोजक की याचिका को, अपीलार्थी की जांच के दौरान, अपीलार्थी के बयान को साबित करने की

अनुमति देगी जो 26 दिसंबर 2016 को सुबह 1115 बजे दर्ज किया गया था ताकि इसे मुकदमे के दौरान एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित किया जा सके।17. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा 2016 से लंबित है, हम निचली अदालत को 31 मार्च 2023 तक मुकदमा समाप्त करने का निर्देश देते हैं।

सी.

डी.

18. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

ई.

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

एफ.

जी.

15 (2019) 18 एस. सी. सी. 721

एच.